न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारीः– गितेश श्री मालवीय (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
162/2022 (GCMS 2022/162)	**15.06.2022**	**13.07.2022**

उनवान

सरकार जरिये श्री महेश कुमार सिहाग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

श्री रमेश पुत्र चाँदमल तम्बोली, मैसर्स माँ का आशीर्वाद रेस्टोरेन्ट, निकम्भ चौराहा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अप्रार्थी

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेश कुमार सिहाग ने परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन दिनांक 25.07.2011 के गजट में भाग 2 (क) पर इनका नाम प्रकाशित हुआ हैं एवं निदेशालय के आदेश क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2021/175 दिनांक 26.05.2021 के द्वारा इनका कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र आंवटित किया गया है तथा सम्पूर्ण चित्तौड़गढ़ जिला इनके कार्य क्षेत्र में आता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 18.10.2021 को समय 8.00

पी.एम. पर मैसर्स माँ का आशीर्वाद रेस्टोरेन्ट, निकुम्भ चौराहा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय श्री रमेश मौजूद था जिसे अपना परिचय दिया। प्रतिष्ठान/विक्रेता का खाद्य अनुज्ञा पत्र नहीं होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के समय विक्रय किये जा रहे खाद्य पदार्थ नमकीन (रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल में निर्मित) में मिलावट का संदेह होने पर आम जनता के विक्रय हेतु रखे कुल 10 कि. ग्रा. में से 2 कि. ग्रा. जांच हेतु खरीदी जिसकी कीमत के रूपये 300/- भुगतान कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। ये रसीद न्याय निर्णयन आवेदन के संलग्न हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री रमेश ने पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति विक्रेता श्री रमेश को देकर रसीद प्राप्त की जो फार्म संख्या 5ए एवं फर्द रिपार्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ नमकीन (रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल में निर्मित) को चार साफ सूखी व खाली प्लास्टिक की बोतलों में बराबर-बराबर डाला और एयर टाईट किया एवं चारों बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर अभिहीत अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के कोड एवं कमांक ए एम-1413 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये। चारों नमूना बोतलों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहीत अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए एम-1413 नियमानुसार चारों नमूना बोतलों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक बोतल को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना बोतल पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर पर आवे। चारों बोतलों पर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना बोतलों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की सात प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील अंकित की, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर कार्यालय खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर राज. को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर कार्यालय खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन

Web Copy - Not Official

के साथ संलग्न है। शेष दो भाग (ii-iii) नमूना बोतलों मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर एवं iv पार्ट मय फार्म संख्या 6 के सील बन्द कर अभिहीत अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी से प्राप्त मुख्य खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/379/एक्ट/2021/373 दिनांक 29.10.2021 के अनुसार ज्ञात हुआ कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना अनसेफ फूड होना पाया गया। जाँच रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रतियां संलग्न है। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ ने विक्रेता श्री रमेश को नमूना पुनः जांच हेतु नोटिस भेजा जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी द्वारा निदेशक, रेफरल फूड लेबोरेट्री से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या RFL/P/DO/88/22/114/2022 दिनांक 18.02.2022 द्वारा ज्ञात हुआ कि उक्त नमूना पुनः जांच मे सबस्टैण्डर्ड (Sub-standard) होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण के संबंधित समस्त दस्तावेज अभिहीत अधिकारी को पेश किये। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ ने पत्रांक/एफएसएसए/2022/1786 दिनांक 09.05.2022 से आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस मे न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्त ने सबस्टैण्डर्ड (Substandard) नमकीन (रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल में निर्मित) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) एवं 31(i) का उल्लघंन किया है जो कि धारा 51 एवं 63 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त को अधिकतम जुर्माना करने की कृपा करें ताकि अवमानक (Substandard) खाद्य पदार्थ के निर्माण एवं विक्रय को रोका जा सके।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के समर्थन में गवाहान की शहादत हेतु शहादत सूची प्रस्तुत की गई जो कि शामिल पत्रावली है। शहादत सूची के अनुसार गवाह संख्या 1 महेश कुमार सिहाग, खाद्‌य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ गवाह संख्या 2 डॉ. रामकेश गुर्जर, अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ गवाह संख्या 3 महेन्द्र सिंह, वा. अ. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ तथा अपने परिवाद के समर्थन में समस्त संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये जो रेकार्ड पर है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 06.07.2022 को अप्रार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब परिवाद पेश किया एवं आज ही बहस सुने जाने हेतु निवेदन किया जिस पर अप्रार्थी को सुना गया। अप्रार्थी ने मौखिक तौर पर परिवाद को स्वीकार किया एवं निवेदन किया कि अप्रार्थी के पूर्व में किसी भी जांच में खाद्य पदार्थ पूर्ण गुणवत्तापूर्ण पाये गये हैं उक्त नमूना उसके द्वारा मैन्यूफेक्चर नहीं किया गया है अप्रार्थी के द्वारा नमूना लूज अवस्था में खरीद कर लूज ही बेचा है किसी प्रकार की उसमें मिलावट नहीं की है। तथा अप्रार्थी की कोई शिकायत भी नहीं हुई है। अप्रार्थी एक छोटे स्तर का कचौरी बेचने वाला रिटेल व्यापारी है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की जाकर आज ही प्रकरण का निस्तारण फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी विधिक प्रावधानों के तहत उक्त फर्म के खाद्य पदार्थ का नमूना लिये जाने के लिये अधिकृत है जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 1 से होती है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 2 एवं 3 फार्म नंबर 5 ए एवं नमूना क्रय रसीद की प्रति से जाहिर होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/मालिक को खाद्य पदार्थ नमकीन (रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल में निर्मित) का नमूना वास्ते जांच लेने हेतु सूचना दी गई जिस पर अप्रार्थी एवं मौके के गवाहान के हस्ताक्षर है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने हेतु विक्रेता से नियमानुसार खाद्य पदार्थ क्रय किया गया जिसकी पुष्ठि दस्तावेज क्रमांक 3 से होती है, उस पर भी विक्रेता एवं गवाहान की शहादत के रूप में हस्ताक्षह है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 4 से जाहिर होता है कि उक्त कार्यवाही दिनांक 18.10.2021 को मौके पर की गई। दस्तावेज क्रमांक 4 मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 18.10.2021 से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ नमकीन (रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल में निर्मित) जिसका नमूना खरीद बिल पत्रावली पर उपलब्ध है से क्रय किया एवं उस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-1413** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार ब्रास सील संख्या 35 से सील चपडी किया। इससे स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थ को नियमानुसार सील किया गया है। हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 5 फार्म नंबर 6 की प्रति का अवलोकन किया। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रवाहक रोशनलाल के साथ आउटर कवर में सील बंद नमूने फार्म नंबर 6 एवं सील्ड लिफाफे खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को नमूना क्रमांक **AM-1413** मय लिफाफे के जमा कराये जाने हेतु भिजवाया गया जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 5 से होती है। हमने खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की रसीद दस्तावेज क्रमांक 5 का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि पत्रवाहक रोशनलाल द्वारा उक्त नमूना मय लिफाफे के दिनांक 20.10.2021 को जमा कराया गया। हमने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नियम 2.4.1(10)(ii) एवं 2.4.1(10)(iii) के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की रसीद दस्तावेज क्रमांक 6 का अवलोकन किया जिस से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी से लिये गये शेष 3 नमूनों एवं फार्म संख्या 6 की प्रतियों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा कराये गये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 8 के अवलोकन से जाहिर होता है कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/एफएसएसए/2021/5085 दिनांक 24.11.2021 से अप्रार्थी को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या **LS 379/ACT 2021/373 Dated 29-10-2021** की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई है, उक्त पत्र रिकार्ड पर है। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट **LS 379/ACT 2021/373 Dated 29-10-2021** का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट एवं मतानुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेश कुमार सिहाग द्वारा लिया खाद्य पदार्थ का नमूना जो कि ब्रास सील संख्या 35 से सील्ड अवस्था में खाद्य विश्लेषक को प्राप्त हुआ, उक्त नमूना दिनांक 20.10.2021 से 29.10.2021 तक जांच के लिये उपयुक्त था। उक्त नमूने के संबंध में खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि **The sample of Namkeen-Loose (Prepared in Ref. Soyabean Oil) bearing code no. and serial no. AM-1413 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O., of District Chittorgarh Is unsafe food. The sample is unsafe food under section 3(1)(zz)(iii)(xi) of the food safety & standards Act 2006.** उक्त नमूना जिस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-1413** नमकीन (रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल में निर्मित) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(zz)(iii)(xi)** के तहत अनसेफ (unsafe) स्तर का पाया गया है। अभिहित अधिकारी द्वारा उक्त रिपोर्ट पत्रांक/एफएसएसए/2021/5085 दिनांक 24.11.2021 से अप्रार्थी को प्रेषित की गई का अवलोकन किया, जिसमें अभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की एवं रेफरल खाद्य प्रयोगशाला से जांच कराये जाने के संबंध में अवगत

कराया गया। इस पर अप्रार्थी द्वारा नमूने की जांच हेतु पुनः आवेदन प्रस्तुत करने पर उक्त नमूने की जांच केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, पूने में कराई गई। केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, पूने की जांच रिपोर्ट क्रमांक/RFL/P/DO/88/22/114/2022 दिनांक 18.02.2022 अनुसार उक्त नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया जिसकी सूचना अभिहीत अधिकारी द्वारा अप्रार्थी को दी गई जो कि दस्तावेज क्रमांक 9 से 12 होकर रेकार्ड पर है। इस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एफएसएसए/2022/1786 दिनांक 09.05.2022 द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 36 की उपधारा 3(e) के तहत अभियोजन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अभियोजन स्वीकृति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दी जाकर अधिकृत किया गया है जो कि दस्तावेज क्रमांक 13 अभियोजन स्वीकृति होकर रिकार्ड पर है। अप्रार्थी द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद को मौखिक रूप से स्वीकार किया है एवं यह तथ्य निर्विवाद रूप से न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ अवमानक स्तर का है। इसके साथ ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने परिवाद को ठोस दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित कराया गया एवं हम आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान से पूर्ण रूप से संतुष्ट है, ऐसी स्थिति में हमारा अभिमत है कि पत्रावली में किसी भी प्रकार अतिरिक्त साक्ष्य एवं शहादत की आवश्यकता नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है।

अधिनियम के अनुसार खाद्य पदार्थ विक्रेता/निर्माता को उक्तानुसार विधि की पालना किया जाना अपेक्षित है, किन्तु अप्रार्थी द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थी को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी को उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है ऐसी स्थिति में विपक्षी/अप्रार्थी जो कि उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रेता/निर्माता है जिससे अप्रार्थी श्री रमेश पुत्र चाँदमल तम्बोली, मैसर्स माँ का आशीर्वाद रेस्टोरेन्ट, निकुम्भ चौराहा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा

26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

चूंकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म के निरीक्षण के दौरान विक्रेता/मालिक के पास खाद्य अनुज्ञा पत्र भी नहीं होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii), 31 (i)** के तहत दोष सिद्ध अभिुक्त को अधिनियम की धारा 51 एवं 63 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान हैं। अतः हमने पत्रावली का अवलोकन कर अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये है। अतः अधिनियम की धारा 49, 51 एवं 63 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय किये जाने से अभियुक्त श्री रमेश पुत्र चाँदमल तम्बोली, मैसर्स माँ का आशीर्वाद रेस्टोरेन्ट, निकुम्भ चौराहा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) को राशि रूपये 15000/— अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू—राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गितेश श्री मालवीय)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़